माल एवं सेवा कर

(GST)

वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान

www.rajteachers.com

जीएसटी में सम्मिलित होने वाले कर

(Entertainment Tax) • विलासिता कर (Luxury Tax)	• Medicinal and Toileteries Preparation Act के तहत • अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD) • विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (SAD)

जीएसटी का महत्व

एक देश,
एक कर,

अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार

सभी हितधारकों– सरकारें, उद्योग व्यापार जगत एव आम उपभोक्ता– पर व्यापक

कर प्रशासन में महत्वपूर्ण ढांचागत

केन्द्र तथा राज्यों के संबंधों में नवीन

(Cooperative Federalism)

www.rajteachers.com

जीएसटी के लाभ

- कर पर पुनः करारोपण से मुक्ति (No cascading)
- कर दाताओं से न्यूनतम व्यक्तिगत सम्पर्क
- IT आधारित व्यवस्था से करापवंचन पर
- अप्रत्यक्ष करों के एकीकरण से (compliance cost) में कमी
- वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर

www.rajteachers.com

जीएसटी : मुख्य विशेषताएँ

- जीएसटी एक गन्तव्य आधारित (destination based) कर
- समान कर आधार पर केन्द्र द्वारा सेंन्ट्रल जीएसटी (CGST) एवं राज्यों द्वारा स्टेट जीएसटी (SGST) का आरोपण होगा।
- मानव उपभोग के लिए एल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है एवं 5 पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस तथा विमान ईंधन) GST लागू

www.rajteachers.com

जीएसटी : मुख्य विशेषताएँ...

- कुछ अधिसूचित सेवाओं के अलावा समस्त सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा।
- तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों पर जीएसटी लागू होगा। साथ ही इन पर केन्द्र द्वारा उत्पाद शुल्क भी लागू होगा।
- सेंन्ट्रल जीएसटी (CGST) तथा स्टेट जीएसटी (SGST) की समान दरें होंगी जो जीएसटी काउंसिल

www.rajteachers.com

जीएसटी : मुख्य विशेषताएँ...

- केन्द्र तथा राज्यों के लिए करमुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची एक समान होगी।
- वस्तुओं एवं सेवाओं की राज्य के भीतर सप्लाई पर सीजीएसटी एवं एसजीएसटी दोनों आरोपित होंगे।
- व्यवसायी द्वारा जारी की जाने वाली इन्वाइस में सीजीएसटी व एसजीएसटी की दर व राशि का

www.rajteachers.com

जीएसटी – करमुक्ति सीमा (Threshold Limit)

		जीएसटी के अन्तर्गत
(Importer)		
(Manufacturer)		
(Non resident dealers)		
ोत पर कर की कटौती (TDS)		

www.rajteachers.com

जीएसटी काउंसिल : महत्वपूर्ण निर्णय...

<u>कम्पोजिशन (Composition) स्कीम:</u> इस हेतु टर्नओवर सीमा 50 लाख रूपये होगी। कम्पोजिशन कर दरें इस प्रकार होंगीः–

- ✓ Trader के लिए 1% (CGST 0.5% व SGST 0.5%)
- ✓ Manufacturer के लिए 2% (CGST 1% व SGST 1%)
- ✓ Restaurant Service को छोड़कर अन्य सेवा प्रदाता, अन्तर्राज्य सप्लाई करने वाले तथा E-Commerce opertor के माध्यम से सप्लाई करने वाले करदाता कम्पोजिशन स्कीम
- ✓ Restaurant Service के लिए 5 प्रतिशत (CGST 2.5% व SGST 2.5%)

www.rajteachers.com

जीएसटी काउंसिल : महत्वपूर्ण निर्णय...

- जीएसटी काउंसिल द्वारा मंहगाई को बढने से रोकने एवं राजस्व को Revenue Neutral रखने के उद्देश्य से निम्न 4 टैक्स स्लैब्स निर्धारित किये गये हैंः– 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावा आमजन की सुविधा के लिए कुछ वस्तुऐं जैसे कि खाद्यान्न इत्यादि कर मुक्त (exempted 0%) श्रेणी में रखी जाऐंगी। स्वर्ण उत्पादों पर देय कर दर का निर्धारण किया जाना शेष है।
- कुछ Demerit Goods पर Cess लगाने का भी प्रावधान किया

www.rajteachers.com

जीएसटी काउंसिल : महत्वपूर्ण निर्णय...

जीएसटी के अन्तर्गत कर मुक्त श्रेणी (Exempted) को छोड़कर अन्य टैक्स

		दर में समाविष्ट किया
Lower	5.00%	>= 3.00% - < 9.00%
Standard 1	12.00%	>= 9.00% - < 15.00%
Standard 2	18.00%	>= 15.00% - < 21.00%
Higher	28.00%	>= 21.00%

www.rajteachers.com

जीएसटी नियम :

जीएसटी लागू करने हेतु समयबद्ध तैयारी के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा निम्न नियम जारी किये गये हैः–

- रजिस्ट्रेशन
- वेल्यूएशन
- भुगतान
- रिटर्न
- इनपुट कर (ITC)

www.rajteachers.com

जीएसटी काउंसिल : महत्वपूर्ण निर्णय...

- रिफण्ड
- इनवोईस
- कम्पोजिशन
- संक्रमण कालीन प्रावधान (Transition)
- लेखा एवं रिकोर्ड
- एडवान्स रूलिंग
- अपील एवं रिवीजन
- ऑडिट एवं एसेस्मेन्ट
- ई–वे बिल

www.rajteachers.com

जीएसटी काउंसिल : महत्वपूर्ण निर्णय...

जीएसटी में प्रोत्साहन योजनाओं (Incentive Schemes/ RIPS) का भविष्यः–

- जीएसटी लागू होने पर उद्योगों के लिए किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन वर्तमान में जारी कर छूट के रूप में नहीं होगा। जीएसटी के अन्तर्गत राज्य सरकारें/केन्द्र सरकार वसूल किये गये कर को पुनर्भुगतान (Reimbursement) के माध्यम द्वारा उद्योगों को यह लाभ दे पाएगी।
- वर्तमान में प्रचलित ईकाईयों पर प्रोत्साहन योजनाओं को चालू रखने अथवा नहीं रखने का निर्णय पूर्णतः राज्य

www.rajteachers.com

जीएसटी में कर प्रशासन

- प्रत्येक करदाता पर केन्द्र अथवा राज्य में से किसी एक कर प्रशासन का ही नियंत्रण होगा। दोहरा नियंत्रण (Dual Control) नहीं होगा।

- केन्द्र की अपेक्षा राज्य के कर प्रशासन की पहुंच अधिक है अतः छोटे करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल द्वारा निम्न निर्णय

www.rajteachers.com

जीएसटी में कर प्रशासन...

- ✓1.5 करोड से कम टर्नओवर वाले 90 प्रतिशत करदाताओं पर राज्यों का तथा 10 प्रतिशत करदाताओं पर केन्द्र का नियंत्रण होगा।

- ✓1.5 करोड से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं पर केन्द्र तथा राज्य दोनों कर प्रशासनों का बराबर (50:50 प्रतिशत) नियंत्रण होगा।

- ✓तीनों जीएसटी कानूनों में Cross empowerment होगा।

www.rajteachers.com

जीएसटी काउंसिल के स्तर पर लंबित मुद्दे

- काउंसिल द्वारा जीएसटी कानून में विभिन्न वस्तुओं पर देय कर की दरों के निर्धारण हेतु जीएसटी काउंसिल की आगामी बेठक दिनांक 18–19 मई, 2017 को निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।
- केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के चुनिंदा अधिकारियों की फिटमेंट कमेटी का गठन किया गया है जिसमें आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान भी सदस्य हैं।
- वस्तुओं पर कर दर निर्धारित करते समय राज्यों की भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखा जायेगा। वर्तमान में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं राज्य बिक्री कर की कर दरों के समकक्ष ही GST की कर दरों का निर्धारण होगा।

www.rajteachers.com

जीएसटी – राज्य की तैयारी

GST पोर्टल पर एनरोलमेंट–

- राजस्थान राज्य में dealers को GST पोर्टल पर enrolment हेतु 16.12.2016 से 31.12.2016 तक विशेष अभियान चलाया गया। इसके फलस्वरूप राज्य में अब तक कुल **4.20 लाख** कर दाताओं द्वारा GST पोर्टल पर enrolment करवाया जा

www.rajteachers.com

जीएसटी नेटवर्क (GSTN)

- जीएसटी में सम्पूर्ण प्रणाली आई.टी. आधारित होगी। डीलर तथा टैक्स अधिकारियों के बीच सम्पर्क आई.टी. नेटवर्क के माध्यम से होगा।
- जीएसटी की आई.टी. आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीएसटीएन नामक एक कॉमन पोर्टल की स्थापना की गई है।
- जीएसटीएन कॉमन पोर्टल को विकसित करने का कार्य देश की प्रख्यात आई.टी. कम्पनी इन्फोसिस द्वारा किया जा रहा

www.rajteachers.com

जीएसटी नेटवर्क (GSTN)...

- राजस्थान ने जीएसटीएन के मॉडल–II विकल्प का चयन किया है, जिसमें जीएसटीएन राज्य को फ्रन्टएण्ड तथा बैकएण्ड दोनों प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करवा रहा है।
- फ्रन्टएण्ड में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेन्ट की सेवाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी।
- बैकएण्ड में असेसमेन्ट, रिफण्ड आदि की सेवाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी।
- जीएसटीएन कॉमन पोर्टल एक मात्र वह प्लेटफार्म होगा, जहॉ

www.rajteachers.com

जीएसटी कानून का अब तक का सफर

- हाल ही में केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा CGST, IGST, UTGST एवं Compensation बिलों को पारित किया जाकर दिनांक 12.04.2017 को गजट में प्रकाशित किया गया।
- इसी तरह सभी राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा भी SGST कानून को पारित किया जाएगा।
- तत्पश्चात केन्द्र एवं राज्यों के GST नियम अधिसूचित किये

www.rajteachers.com

जीएसटी अधिनियम की

प्रमुख विशेषताएँ

पंजीयन Registration (धारा 22)

- वर्तमान में रजिस्टर्ड डीलर्स को नवीन रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वे जीएसटीएन पोर्टल पर migrate होंगे एवं उन्हें **3 माह की** अवधि में आवश्यक सूचनाएं जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
- रजिस्ट्रेशन के लिए threshold **सीमा 20 लाख** रूपये होगी। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रूपये होगी।
- नये पंजीयन के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर single online आवेदन करने पर **तीन कार्य दिवस** के भीतर पंजीयन की

www.rajteachers.com

निम्न को पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं होगी (धारा 23)

- वे व्यक्ति जो सम्पूर्णतः ऐसे माल या सेवाओं की सप्लाई करते हो जो पूर्णरूप से करमुक्त है।

- **कृषक**, भूमि की उपज की पूर्ति के विस्तार

www.rajteachers.com

अनिवार्य पंजीयन (धारा 24)

- अन्तर्राज्य वस्तुओं या सेवाओं के सप्लायर
- रिवर्स चार्ज पर सप्लाई करने वाले सप्लायर
- ई.कोमर्स ऑपरेटर एवं इनके माध्यम से सप्लाई करने वाले करदाता
- अनिवासी सप्लायर
- किसी और के वास्ते सप्लाई करने वाले (on behalf of)
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
- टी.डी.एस काटने वाले
- ऑनलाईन इन्फोरमेशंन एवं डेटा बेस एक्सेस सेवाऐं प्रदान करने वाले ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर से भारत के

www.rajteachers.com

सप्लाई का समय Time of Supply (धारा 12)

- जीएसटी में माल व सेवाओं की सप्लाई पर कर लगेगा। सप्लाई के समय से यह निर्धारण होगा कि कब माल व सेवाओं की सप्लाई की गतिविधि पूर्ण हो चुकी है तथा करदाता का कर अदायगी का दायित्व सृजित हो चुका है।
- माल के सप्लाई का समय निम्नलिखित में जो भी पहले होगा, वह मान्य होगा–

– इनवाइस जारी करने की तारीख या वो अंतिम तारीख, जिस पर सप्लायर को इनवाइस जारी करना अनिवार्य है।

– इस सप्लाई के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त करने की तारीख।

www.rajteachers.com

सप्लाई का समय Time of Supply...

- सेवा की सप्लाई का समय निम्नलिखित में जो भी पहले होगा, वह मान्य होगा–
  - इनवाइस जारी करने की तारीख या सप्लाई के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त करने की तारीख, जो भी पहले हो।
  - सेवा उपलब्ध्ध कराने की तारीख या सप्लाई के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त करने की तारीख, जो भी पहले हो।
  - जहां ऊपर के दोनो उपबन्ध लागू नहीं होते वहां पर प्राप्तिकर्ता के द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में सेवाओं की

www.rajteachers.com

सप्लाई का मूल्य Value of Supply (धारा 15)

- सप्लाई का मूल्य Transaction value यथा प्रतिफल कीमत होगा। Transaction value सप्लाई की वास्तविक रूप से भुगतान की

- सप्लाई के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

✓ जीएसटी के अलावा आरोपणिय (levied) कर, शुल्क, उपकर, फीस।

✓ ऐसा कोई भुगतान जो सप्लायर द्वारा किया जाना है परन्तु उसके बदले में प्राप्तिकर्ता ने वह भुगतान किया हो।

✓ कमिशन पैकिंग चार्जेज इत्यादि।

✓ केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सबसिडी के अलावा अन्य

www.rajteachers.com

सप्लाई का स्थान Place of Supply

GST में सप्लाई का स्थान एक महत्वपूर्ण concept है क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होगा कि सप्लाई राज्य के भीतर हुयी है या अर्न्तराज्यीय है। सप्लाई का स्थान साधारण रूप से इस प्रकार होगा–

- माल की सप्लाई का स्थान–
  - ✓ जहां सप्लाई ऐसे माल की हो जिसका movement होता हो, वहां पर सप्लाई का स्थान उस जगह को माना जायेगा जिस जगह पर माल का movement terminate होगा।

www.rajteachers.com

सप्लाई का स्थान Place of Supply...

- ✓जहां सप्लाई ऐसे माल की हो जिसका movement नहीं हो, वहां पर सप्लाई का स्थान उस जगह को माना जायेगा जिस जगह पर माल की डिलिवरी हो।
- ✓जहां पर किसी माल की assembly या installation हो उसको सप्लाई का स्थान माना जायेगा।
- ✓किसी यात्रा के दौरान वाहन पर सप्लाई होने वाले माल की सप्लाई का स्थान वो माना जायेगा जिस

www.rajteachers.com

सप्लाई का स्थान Place of Supply...

- सेवा की सप्लाई का स्थान (विशिष्ट सेवाओं के अलावा)–
  - ✓ जहां सेवा किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को होगी वहां व्यक्ति का स्थान सप्लाई का स्थान माना जायेगा।
  - ✓ यदि सप्लाई ऐसे व्यक्ति को होगी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लाई का स्थान होगा–
    - प्राप्तकर्ता का स्थान जहां वह रिकार्ड पर उपलब्ध है।
    - अन्यथा सप्लायर का स्थान।

www.rajteachers.com

जीएसटी पर लेखा एवं रिकॉर्ड

(धारा 35)

- व्यवसायी द्वारा मासिक सप्लाई का विवरण ऑनलाईन फीड करने पर सप्लाई प्राप्तकर्ता के यहां क्रय विवरण, मासिक रिटर्न में कर देयता एवं आगत कर का ऑटो प्रदर्शन (auto-populate) होगा।
- व्यवसाईयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकार्ड को संधारण करने की सुविधा दी जायेगी।
- इलेक्ट्रोनिक cash ledger व इलेक्ट्रोनिक credit ledger जीएसटीएन पर रखने की व्यवस्था होगी।

www.rajteachers.com

रिटर्न्स (धारा 37–48)

- CGST, SGST एवं IGST की एक कॉमन रिटर्न होगी।
- रिटर्न GSTN पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगी।
- जीएसटी में विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए 11

www.rajteachers.com

रिटर्न्स...

- सामान्य करदाता को प्रत्येक माह की रिटर्न माह समाप्ति के 20 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी।
- कम्पोजीशन की सुविधा का लाभ लेने वाले छोटे डीलर्स के लिए त्रैमासिक रिटर्न की सुविधा होगी।
- वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद के दिसम्बर माह तक,

www.rajteachers.com

रिटर्न्स...

- सामान्य करदाता माह समाप्ति के 10 दिवस के अन्दर उसके द्वारा की गई सप्लाई की सूचना GSTR-1 में जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- करदाता द्वारा प्राप्त की गई माल एवं सेवाओं की सूचना GSTR-2 के रूप में auto populate होगी। जिसे करदाता को 10 से 15 तारीख के बीच स्वीकृति प्रदान करनी होगी। वह किसी छूटी हुई सप्लाई को

www.rajteachers.com

रिटर्न्स...

- GSTR-1 एवं GSTR-2 का विवरण GSTR-3, जो कि करदाता का अंतिम कर दायित्व को दर्शाता है, में auto-populate हो जाएगा।
- इस प्रकार IT System के उपयोग से रिटर्न भरने

www.rajteachers.com

टैक्स का भुगतान (धारा 49)

- हर महीने के टैक्स का भुगतान अगले महीने की निर्धारित तिथि पर या उससे पहले किया जायेगा।
- देय कर इन्टरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करवाया जा सकेगा।
- छोटे व्यवसाईयों को बैंक काउंटर पर नकद या चैक के माध्यम से रू 10,000/– तक कर जमा कराने की

www.rajteachers.com

इनपुट कर केडिट **Input Tax Credit-ITC**

(धारा 16–21)

- बिना बाधा व रूकावट ITC की सुविधा मिलेगी। तात्पर्य यह है कि करदाता को केवल value addition पर ही कर का भुगतान करना होगा।
- इनपुट कर मिलान, रिवर्सल की स्वचालित व्यवस्था जीएसटीएन के माध्यम से संभव होगी।
- कुछ मामलों में unutilized ITC के रिफण्ड की सुविधा

www.rajteachers.com

इनपुट कर केडिट

Input Tax Credit-ITC...

- सीजीएसटी/एसजीएसटी के इनपुट कर को आईजीएसटी के भुगतान में उपयोग किया जा सकेगा, इसी प्रकार आईजीएसटी के इनपुट कर को सीजीएसटी/एसजीएसटी के भुगतान में उपयोग किया जा सकेगा।
- सीजीएसटी के इनपुट कर को एसजीएसटी के भुगतान में उपयोग नही किया जा सकेगा, ना ही एसजीएसटी के इनपुट कर को सीजीएसटी के भुगतान में उपयोग

www.rajteachers.com

क्रेडिट डेबिट नोट्स (धारा–34)

- इनपुट कर की मैचिंग, रिवर्सल तथा रिक्लेम का कार्य जीएसटीएन पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप से किया जाएगा जिसमें करदाता से सम्पर्क की आवश्यकता नहीं होगी।
- करदाता रिटर्न में हुई किसी भूल को वार्षिक रिटर्न जमा कराने से पूर्व स्वयं सुधार सकता है।
- किसी विशिष्ट इनवाइस में बदलाव के लिए करदाता द्वारा क्रेडिट नोट व डेबिट नोट का प्रयोग किया

www.rajteachers.com

इनवॉइस की मैचिंग

(धारा 42–43)

- करदाता को इनपुट कर का लाभ तभी मिलेगा जब सम्बन्धित सप्लायर अपनी सप्लाई को स्वीकार करे व उसके कर का भुगतान करे।
- जीएसटीएन सिस्टम करदाताओं द्वारा रिटर्न के रूप में उपलब्ध करवाई गई inward व outward सप्लाई की

www.rajteachers.com

इनवॉइस की मैचिंग...

- किसी प्रकार के मिसमैच होने पर सिस्टम सप्लायर व recepient को आवश्यक बदलाव के लिए सूचित करेगा।
- यह इनपुट कर के अनुचित उपयोग को रोकने में सहायता करेगा एवं इनपुट कर से संबंधित वंचना (Fraud) पर अंकुश लगाने का महत्वपूर्ण कार्य करेगा।

www.rajteachers.com

रिफण्ड (धारा 54–58)

- रिफण्ड की प्रक्रिया सरल एवं ऑनलाइन होगी।
- आवेदन से 60 दिवस के भीतर रिफण्ड जारी होगा। 60 दिवस के भीतर रिफण्ड जारी नहीं होने पर ब्याज के प्रावधान होंगे।
- निर्यात के मामलों में 90% रिफण्ड तत्कालिक प्राप्त

www.rajteachers.com

रिफण्ड...

- 2 लाख तक के रिफण्ड के लिये स्व–घोषणा पत्र ही काफी होगा। इसके लिये अन्य संबंधित दस्तावेजों की

- निर्यात एवं inverted duty structure के मामलों में

www.rajteachers.com

एसेसमेंट Assessment

(धारा 59–64)

- जीएसटी सेल्फ एसेसमेंट के सिद्धांत पर आधारित है।
- करदाता अपनी प्रत्येक माह की समस्त आउटवर्ड सप्लाई अगले महीने की 10 तारीख तक रिटर्न जीएसटीआर–1 के रूप में सेल्फ एसेसड करेगा। इस रिटर्न के आधार पर इनवर्ड सप्लाई जीएसटीआर–2 auto populate होगी।

www.rajteachers.com

एसेसमेंट...

- करदाता को रिटर्न के आधार पर प्रोविजनल तौर पर आईटीसी का लाभ मिलेगा।

- सप्लायर के आवेदन पर प्रोविजनल एसेसमेंट की

www.rajteachers.com

ऑडिट (धारा 65–66)

- जीएसटी कानून में ऑडिट की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कुल सप्लायर्स में से केवल 5 प्रतिशत का ऑडिट होगा।
- ऑडिट प्रक्रिया का करदाता के व्यवसाय स्थल पर सम्पादित होना आवश्यक नहीं है। ऑडिट कर प्राधिकारी के कार्यालय में भी सम्पादित की जा सकती है।
- ऑडिट के संबंध में करदाता को 15 दिवस पूर्व

www.rajteachers.com

ऑडिट...

- ऑडिट की प्रक्रिया सामान्यतया 3 माह में पूरी कर ली जाएगी।
- ऑडिट पूर्ण होने पर बिना देरी के ऑडिट के निष्कर्षों को करदाता को सूचित किया जाएगा। वाद को कम करने की दृष्टि से हर चरण पर सप्लायर को बिना पेनल्टी/न्यूनतम पेनल्टी पर प्रकरण को

www.rajteachers.com

अपील्स APPEALS

(धारा 107–121)

जीएसटी कानून में अपील के 4 स्तर निर्धारित किये गये है–

- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
- जीएसटी ट्रिब्यूनल्स
- उच्च न्यायालय
- सर्वोच्च न्यायालय

www.rajteachers.com

अपील्स APPEALS...

- जीएसटी के अन्तर्गत जारी समस्त आदेशों के विरूद्ध अपील की जा सकती है।
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से अपील करने के पूर्व, विवादित कर राशि के 10 प्रतिशत एवं ट्रिब्यूनल्स में अपील करने से पूर्व विवादित कर राशि के 20 प्रतिशत रकम pre-deposit के रूप

www.rajteachers.com

पेनल्टी (धारा 122–138)

- दस्तावेजों में किसी भूल की वजह से सुधारात्मक गलती, जो बिना दोषपूर्ण नीयत से की गई हो, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
- पेनल्टी उल्लंघन की सीमा पर निर्भर करेगी।
- पेनल्टी लागू करने का आदेश पेनल्टी लगाने के समस्त कारणों को विस्तार से बतायेगा।
- बिना कारण बताओ नोटिस दिए पेनल्टी नहीं लगाई

www.rajteachers.com

जीएसटी कानून में कुछ विशिष्ट प्रावधान

- **अनुपालना रेटिंग (Compliance Rating)** – सभी करदाताओं की उनके दायित्व निर्वहन के इतिहास के आधार पर रेटिंग की जायेगी। इस पद्धति से कर दाताओं का दायित्व निर्वहन बढेगा और व्यवसाय जगत को नई दिशा मिलेगी।
- **मुनाफाखोरी निरोध(Anti-Profiteering Measures)**–इस प्रावधान के अंतर्गत कर की दर कम होने की स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आने या ना आने को जांचा जाऐगा। इससे व्यवसाय जगत जीएसटी से उत्पन्न होने वाले लाभों को अन्तिम उपभोक्ता तक हस्तान्तरित करने को बाध्य होंगें एवं inflation

www.rajteachers.com

संक्रमण कालीन प्रावधान

Transitional Provisions

(धारा 139–142)

करदाताओं के वर्तमान कर प्रणाली से जीएसटी प्रणाली में सुचारू अन्तरण को सुनिश्चित करने हेतु जीएसटी कानून में इसके

www.rajteachers.com

संक्रमण कालीन प्रावधानों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:–

- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC):– वर्तमान कर व्यवस्था में करदाता के खाते में जमा ITC की राशि, जो रिटर्न में अग्रेषित की गई है, उसे GST में भी ITC के रूप में लिया जा सकेगा।
- Stock in hand पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC):– अवशेष माल (Stock in hand) पर ग्राह्य आईटीसी को GST में ITC के रूप में लिया जा सकेगा।

www.rajteachers.com

- रिफण्ड दावेः– लंबित रिफण्ड दावों का निस्तारण पूर्ववर्ती कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- कार्यवाही :– पुराने कानून के तहत लंबित कार्यवाहीयों, जैसे अधिनिर्णयन (adjudication), कर निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण (revision) तथा वसूली योग्य राशि, का निस्तारण पुराने कानून के

www.rajteachers.com

आई.जी.एस.टी अधिनियम

- वस्तुओं एवं सेवाओं की अन्तर्राज्यीय सप्लाई पर आईजीएसटी आरोपित होगा।

- आईजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति का

www.rajteachers.com

आई.जी.एस.टी अधिनियम...

- आयात एवं निर्यात से संबंधित आपूर्ति के प्रावधान भी आईजीएसटी अधिनियम में किये गये है।

- आईजीएसटी (एसजीएसटी + सीजीएसटी) में से सीजीएसटी भाग केन्द्र को मिलेगा। आईजीएसटी में से सीजीएसटी की राशि घटाने के बाद शेष राशि उस राज्य को मिलेगी, जहॉ वस्तुओं एवं सेवाओं का

www.rajteachers.com

धन्यवाद

www.rajteachers.com

S.No.	Description of supply of goods or services	Compensation Cess
1.	Pan Masala	135% ad valorem
2.	Tobacco and manufactured tobacco substitutes, including tobacco products	Rs. 4175 per 1000 sticks or 290 % ad valorem or a combination thereof, but not exceeding Rs. 4175 per 1000 sticks plus 290 % ad valorem
3.	Coal briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal, lignite, whether or not agglomerated, excluding jet, peat (including peat litter), whether or not agglomerated.	Rs. 400 per tonne
4.	Aerated waters	15% ad valorem
5.	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver), including station wagons and racing cars.	15% ad valorem
6.	Any other supplies.	15% ad valorem

www.rajteachers.com

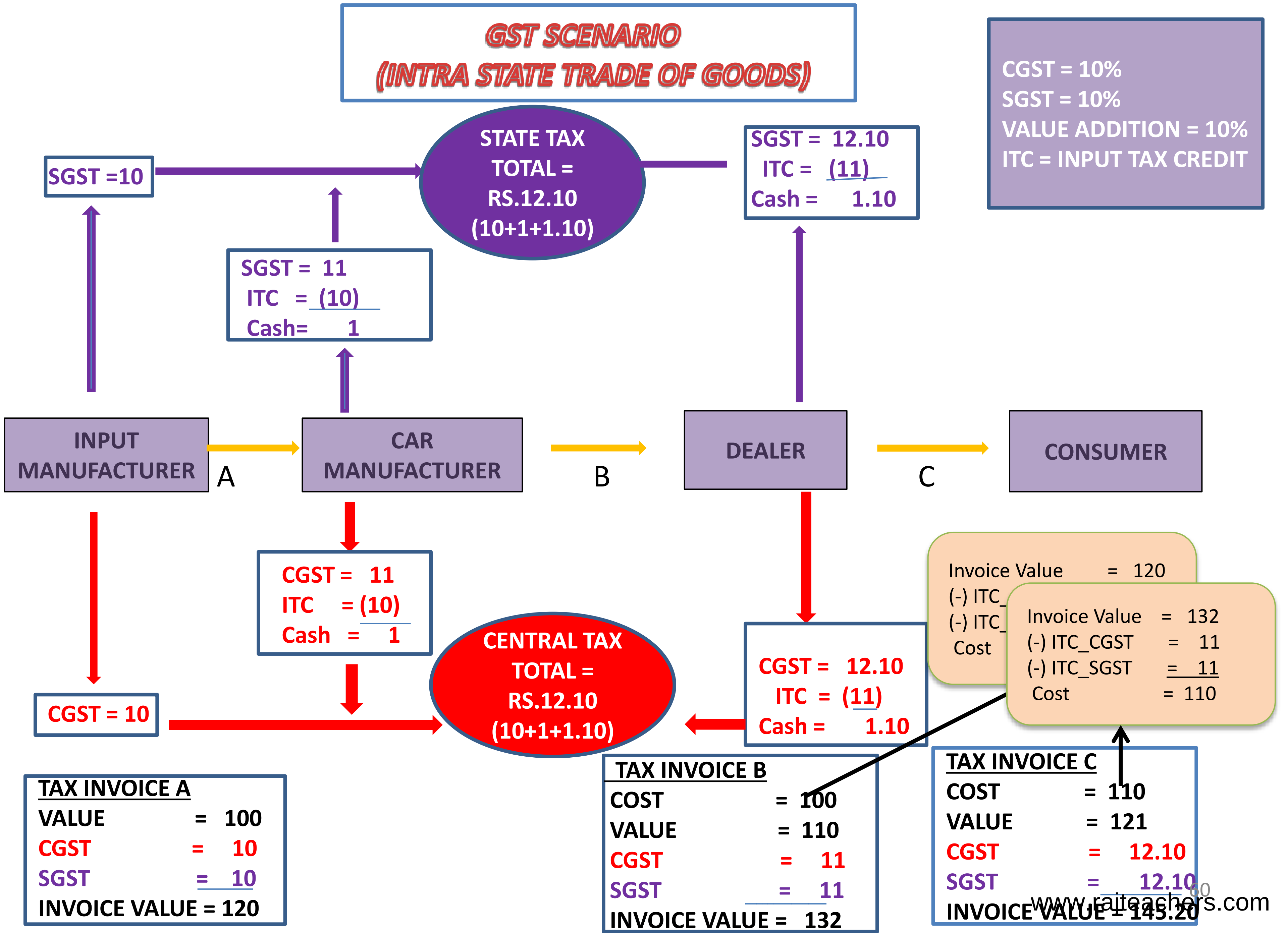
GST SCENARIO
(INTRA STATE TRADE OF GOODS)
CGST = 10%
SGST = 10%
VALUE ADDITION = 10%
ITC = INPUT TAX CREDIT
STATE TAX TOTAL = RS.12.10 (10+1+1.10)
SGST =10
SGST = 11
ITC = (10)
Cash= 1
SGST = 12.10
ITC = (11)
Cash = 1.10
INPUT MANUFACTURER
A
CAR MANUFACTURER
B
DEALER
C
CONSUMER
CGST = 11
ITC = (10)
Cash = 1
CENTRAL TAX TOTAL = RS.12.10 (10+1+1.10)
CGST = 10
CGST = 12.10
ITC = (11)
Cash = 1.10
Invoice Value = 120
(-) ITC_
(-) ITC_
Cost
Invoice Value = 132
(-) ITC_CGST = 11
(-) ITC_SGST = 11
Cost = 110
TAX INVOICE A
VALUE = 100
CGST = 10
SGST = 10
INVOICE VALUE = 120
TAX INVOICE B
COST = 100
VALUE = 110
CGST = 11
SGST = 11
INVOICE VALUE = 132
TAX INVOICE C
COST = 110
VALUE = 121
CGST = 12.10
SGST = 12.10
INVOICE VALUE = 145.20
www.raiteachers.com

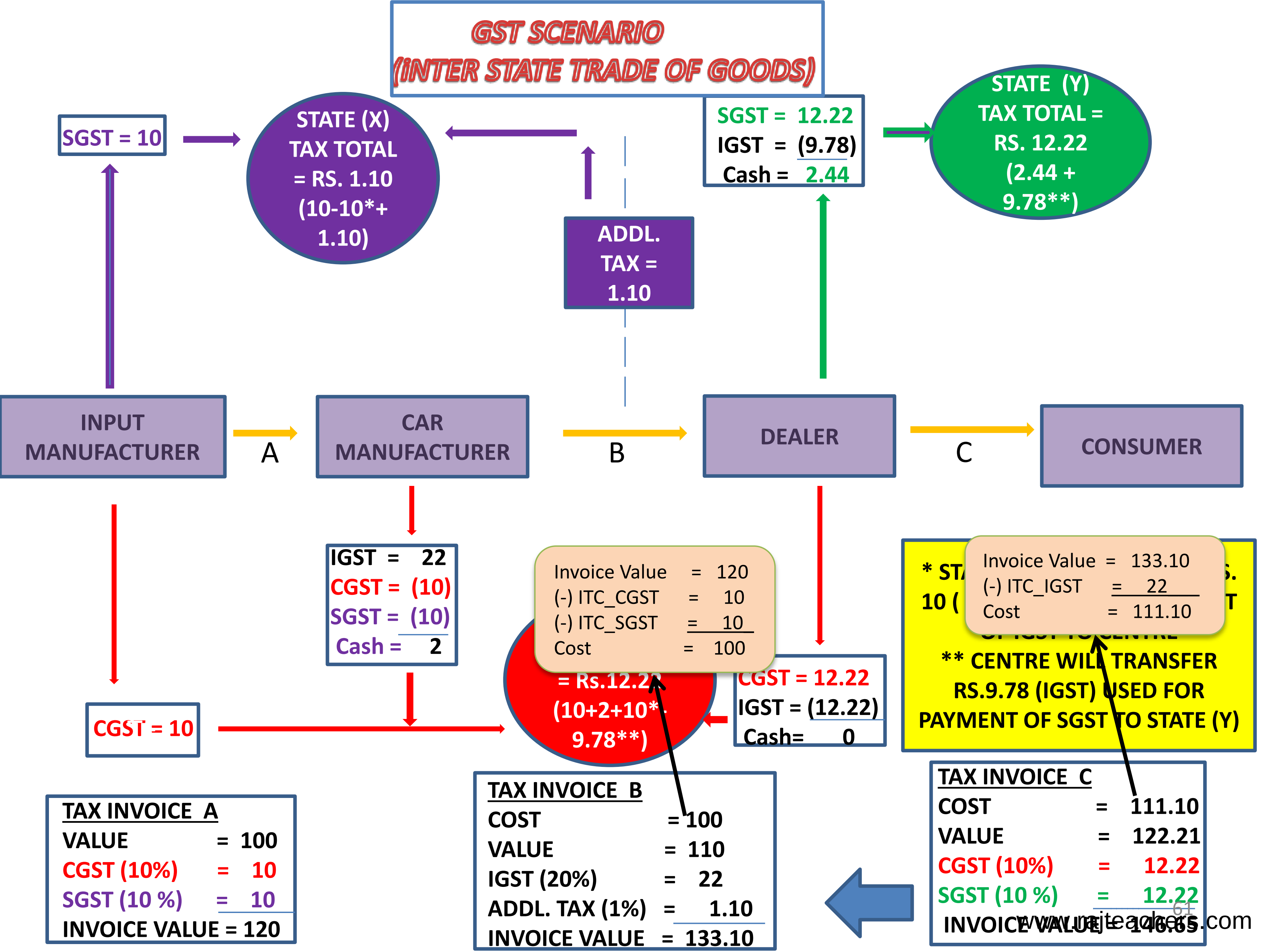
GST SCENARIO
(INTER STATE TRADE OF GOODS)
SGST = 10
STATE (X) TAX TOTAL = RS. 1.10 (10-10*+ 1.10)
ADDL. TAX = 1.10
SGST = 12.22
IGST = (9.78)
Cash = 2.44
STATE (Y) TAX TOTAL = RS. 12.22 (2.44 + 9.78**)
INPUT MANUFACTURER
A
CAR MANUFACTURER
B
DEALER
C
CONSUMER
IGST = 22
CGST = (10)
SGST = (10)
Cash = 2
Invoice Value = 120
(-) ITC_CGST = 10
(-) ITC_SGST = 10
Cost = 100
= Rs.12.22
(10+2+10*+ 9.78**)
CGST = 12.22
IGST = (12.22)
Cash= 0
Invoice Value = 133.10
(-) ITC_IGST = 22
Cost = 111.10
** CENTRE WILL TRANSFER RS.9.78 (IGST) USED FOR PAYMENT OF SGST TO STATE (Y)
CGST = 10
TAX INVOICE A
VALUE = 100
CGST (10%) = 10
SGST (10 %) = 10
INVOICE VALUE = 120
TAX INVOICE B
COST = 100
VALUE = 110
IGST (20%) = 22
ADDL. TAX (1%) = 1.10
INVOICE VALUE = 133.10
TAX INVOICE C
COST = 111.10
VALUE = 122.21
CGST (10%) = 12.22
SGST (10 %) = 12.22
INVOICE VALUE = 146.65
61
www.rajteachers.com

www.rajteachers.com